Chief Justice of the Delhi High Court दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

- As a Chief Justice of Delhi High-court Justice Manmohan took the Oath of Office in the Capital of India. The Oath was administered by Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena at a ceremony where the new Chief Minister of Delhi also attended the event.

  दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मनमोहन ने भारत की राजधानी में पद की शपथ ली। शपथ एक समारोह में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिलाई, जहां दिल्ली के नए मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

Udhayanidhi Stalin Took Oath as Deputy CM of TamilNadu:

उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली:

- The Chief Minister of TamilNadu M. K. Stalin's son Udhayanidhi Stalin took the oath as the new Deputy Chief Minister of the state. The cabinet reshuffle and several members were also changed.

  तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने राज्य के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कैबिनेट में फेरबदल के साथ कई सदस्य भी बदले गए.

National Centre Of Excellence For AVGC एवीजीसी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र

- The Union Cabinet approved the establishment of a National Centre of Excellence (NCoE) for Animation, Visual Effects, Gaming, Comics, and Extended Reality (AVGC-XR) in Mumbai.
  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुंबई में एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और विस्तारित वास्तविकता (एवीजीसी–एक्सआर) के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई) की स्थापना को मंजूरी दे दी।
- National Centre of Excellence for AVGC will be set up as a Section 8 Company under the Companies Act, 2013 in India.
  एवीजीसी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र भारत में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा।

National Centre Of Excellence For AVGC एवीजीसी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र

- The Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry and Confederation of Indian Industry represent the industry bodies as partners with the Government of India.
  फेडरेशन ऑफ इंडियन चौंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भारत सरकार के साथ भागीदार के रूप में उद्योग निकायों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- It aims at creating a world class talent pool in India to cater to the Indian as well as global entertainment industry.
  इसका उद्देश्य भारतीय और वैश्विक मनोरंजन उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत में एक विश्व स्तरीय प्रतिभा पूल बनाना है।

National Centre Of Excellence For AVGC एवीजीसी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र

- It is provisionally named the ***Indian Institute for Immersive Creators*** (IIIC), this center aims to revolutionize the AVGC sector and foster innovation in immersive technologies.
  इसे अस्थायी रूप से इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इमर्सिव क्रिएटर्स (IIIC) नाम दिया गया है, इस केंद्र का उद्देश्य ।टळ८ क्षेत्र में क्रांति लाना और इमर्सिव प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देना है।
- It will be modeled after renowned institutions like the Indian Institutes of Technology (IITs) and Indian Institutes of Management (IIMs).
  इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) जैसे प्रसिद्ध संस्थानों के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

National Centre Of Excellence For AVGC एवीजीसी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र

- This initiative is set to boost the economy while creating new job opportunities in the rapidly growing AVGC sector.
  यह पहल तेजी से बढ़ते एवीजीसी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करते हुए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए तैयार है।
- As a global hub for filmmaking, India's advancements in technology and infrastructure will enable the production of high-quality content, positioning the country as a leader in technological innovation and creativity.
  फिल्म निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में भारत की प्रगति उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उत्पादन करने में सक्षम होगी, जिससे देश तकनीकी नवाचार और रचनात्मकता में अग्रणी बन जाएगा।

MV Shreyams Kumar New President of Indian Newspaper Society:

एमवी श्रेयम्स कुमार इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष:

- The Indian Newspaper Society (INS), a premier organization representing the print media industry in India, has announced significant leadership changes for the year 2024-25, marking a new chapter in its illustrious history of safeguarding press freedom and promoting print media interests.
  भारत में प्रिंट मीडिया उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रमुख संगठन, इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (आईएनएस) ने वर्ष 2024–25 के लिए महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की है, जो प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने और प्रिंट मीडिया हितों को बढ़ावा देने के अपने शानदार इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है।

SARTHIE 1.0 सारथी 1.0

- The Department of Social Justice and Empowerment (DoSJE), Government of India, and the National Legal Services Authority (NALSA) launched the SARTHIE 1.0. भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (DoSJE) और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने सारथी 1.0 लॉन्च किया।
- SARTHIE 1.0 is an initiative intended to empower disadvantaged communities, including Scheduled Castes (SCs), Other Backward Classes (OBCs), Senior Citizens, Transgender Persons, Victims of Alcoholism and Substance Abuse, persons engaged in the act of Begging, Denotified and Nomadic Tribes and more. सारथी 1.0 एक पहल है जिसका उद्देश्य वंचित समुदायों को सशक्त बनाना है, जिसमें अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, शराब और मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार, भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्ति, विमुक्त और खानाबदोश जनजातियाँ शामिल हैं।

SARTHIE 1.0 सारथी 1.0

- It aligns with the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development, particularly the goals focused on eradicating poverty, reducing inequality, and promoting social protection policies that ensure greater equality for all.
  यह सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा के अनुरूप है, विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने और सामाजिक सुरक्षा नीतियों को बढ़ावा देने पर केंद्रित लक्ष्य जो सभी के लिए अधिक समानता सुनिश्चित करते हैं।
- The collaboration aims to bridge the awareness gap and provide legal assistance to ensure the effective implementation of social welfare programmes.
  सहयोग का उद्देश्य जागरूकता अंतर को पाटना और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सहायता प्रदान करना है।

SARTHIE 1.0 सारथी 1.0

- It offers a synergy between the executive and the judiciary and ensures that social justice is further strengthened.
  यह कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच तालमेल प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सामाजिक न्याय को और मजबूत किया जाए।
- NALSA was constituted under the Legal Services Authorities Act of 1987
  NALSA का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था
- It has a mandate to provide legal aid to disadvantaged groups and spread legal literacy.
  इसका उद्देश्य वंचित समूहों को कानूनी सहायता प्रदान करना और कानूनी साक्षरता फैलाना है।

SARTHIE 1.0 सारथी 1.0

- The Chief Justice of India is the patron-in-chief of NALSA, while the second senior-most judge of the Supreme Court of India is the Executive Chairman.
  भारत के मुख्य न्यायाधीश छ।सै। के संरक्षक–प्रमुख हैं, जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यकारी अध्यक्ष हैं।
- It is housed at the Supreme Court of India, New Delhi.
  यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में स्थित है।

Sonam Wangchuk : Ladak and Sixth Schedule सोनम वांगचुक: लदाक और छठी अनुसूची

- Climate activist Sonam Wangchuk was detained on the Delhi border on Monday night as he led a group of protesters to petition the Central government for the inclusion of Ladakh in the Sixth Schedule of the Constitution among other demands for autonomy to the region.
  जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सोमवार रात दिल्ली सीमा पर हिरासत में ले लिया गया क्योंकि उन्होंने क्षेत्र की स्वायत्तता की अन्य मांगों के अलावा लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से याचिका दायर करने वाले प्रदर्शनकारियों के एक समूह का नेतृत्व किया था।

Sonam Wangchuk : Ladak and Sixth Schedule सोनम वांगचुक: लदाक और छठी अनुसूची

- Ladakh's indigenous population, including the Buddhist and Shia Muslim communities, seeks cultural preservation and governance autonomy.
  बौद्ध और शिया मुस्लिम समुदायों सहित लद्दाख की स्वदेशी आबादी सांस्कृतिक संरक्षण और शासन स्वायत्तता चाहती है।
- Activists, including Sonam Wangchuk, argue that inclusion under the Sixth Schedule will provide constitutional safeguards, ensuring economic and social development while protecting their cultural heritage.
  सोनम वांगचुक सहित कार्यकर्ताओं का तर्क है कि छठी अनुसूची के तहत शामिल किए जाने से संवैधानिक सुरक्षा उपाय मिलेंगे, जिससे उनकी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करते हुए आर्थिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित होगा।

Sonam Wangchuk : Ladak and Sixth Schedule सोनम वांगचुक: लदाक और छठी अनुसूची

- Ladakh has a significant tribal population, and the Sixth Schedule would empower Autonomous District Councils to govern with greater local autonomy, much like northeastern tribal areas. लद्दाख में एक महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी है, और छठी अनुसूची पूर्वोत्तर जनजातीय क्षेत्रों की तरह, अधिक स्थानीय स्वायत्तता के साथ शासन करने के लिए स्वायत्त जिला परिषदों को सशक्त बनाएगी।

Schedules of the Constitution

Numbers		Subject Matter
First Schedule	1.	Names of the States and their territorial jurisdictions.
	2.	Name of the Union Territories and their extent
Second Schedule		Provisions relating to the emoluments, allowances, privileges, etc
	1.	The President and the Governors of the States
	2.	The Speaker and the Deputy Speaker of the Lok Sabha
	3.	The Chairman and the Deputy Chairman of the Rajya Sabha
	4.	The Speaker and the Deputy Speaker of States Assemblies
	5.	The Chairman and the Deputy Chairman of the Councils in the States
	6.	The Judges of the supreme Court and of the Courts
	7.	The Comptroller and Auditor-General of India

Third Schedule — Forms of the Oaths or Affirmations for

1. The Union Ministers
2. The candidates for election to the Parliament
3. The Members of the Parliament
4. The Judges of the supreme Court
5. The Comptroller and Auditor General of India
6. The State Ministers
7. The candidates for election to the State Legislature
8. The members of the State Legislature
9. The Judges of the High Courts

Fourth Schedule — Allocation of the seats in the Rajya Sabha to the States and the UT's.

Fifth Schedule — Provisions relating to the administration and the control of the Scheduled Areas and the Scheduled Tribes.

CURRENT AFFAIRS

Schedules of the Constitution

Numbers	Subject Matter
Sixth Schedule	Provisions relating to the administration of the Tribal Areas in the States of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram.

- ✓ In 2019, the Ministry of Home Affairs (MHA) constituted a high-powered committee for the Union Territory of Ladakh to “ensure protection of land and employment” for the people of Ladakh.
- ✓ According to a few members of the committee, the MHA's order is vague and does not address their demand for inclusion in the **Sixth Schedule.**
- ✓ In September 2019, the **National Commission for Scheduled Tribes** recommended the inclusion of Ladakh under the Sixth Schedule, noting that the new UT was predominantly tribal (more than 97%) and its distinct cultural heritage needed preservation.

Schedules of the Constitution Numbers	Subject Matter
Seventh Schedule	Division of the powers between the Union and the States in terms of List I (the Union List - 97 subjects) List II (the States List - 62 subjects) and List III (the Concurrent List -52 subjects).

CURRENT AFFAIRS

Schedules of the Constitution

Numbers	Subject Matter
Eighth Schedule	Includes the languages recognised by the Constitution. Originally, it had 14 but presently there are 22 languages.

They are :

Assamese	Bengali	Gujarati	Hindi	Kannada	Kashmiri
Konkani	Malayalam	Manipuri	Marathi	Nepali	Oriya
Punjabi	Sanskrit	Sindhi	Tamil	Telugu	Urdu
Bodo	Dogri	Maithili	Santhali		

Notes: English is not a recognized language in the Constitution
[Sindhi was added by the 21st Amendment Act of 1967.]
[Konkani, Manipuri and Nepali were added by the 71st Amendment Act of 1992.]
[The 92nd Amendment Act, 2003 added Bodo, Dogri, Maithili and Santhali]
[In 2011, the spelling Oriya was changed to Odia by 96th amendment.]

Schedules of the Constitution

Numbers	Subject Matter
Ninth Schedule	Right of Property not a fundamental right now.
Tenth Schedule	The Anti-defection Law.
Eleventh Schedule	Panchayats . It has 29 matters. This schedule was added by the 73nd Amendment Act of 1993.
Twelfth Schedule	Municipalities. It has 18 matters. This Schedule was added by the 74th Amendment Act of 1993.

CURRENT AFFAIRS

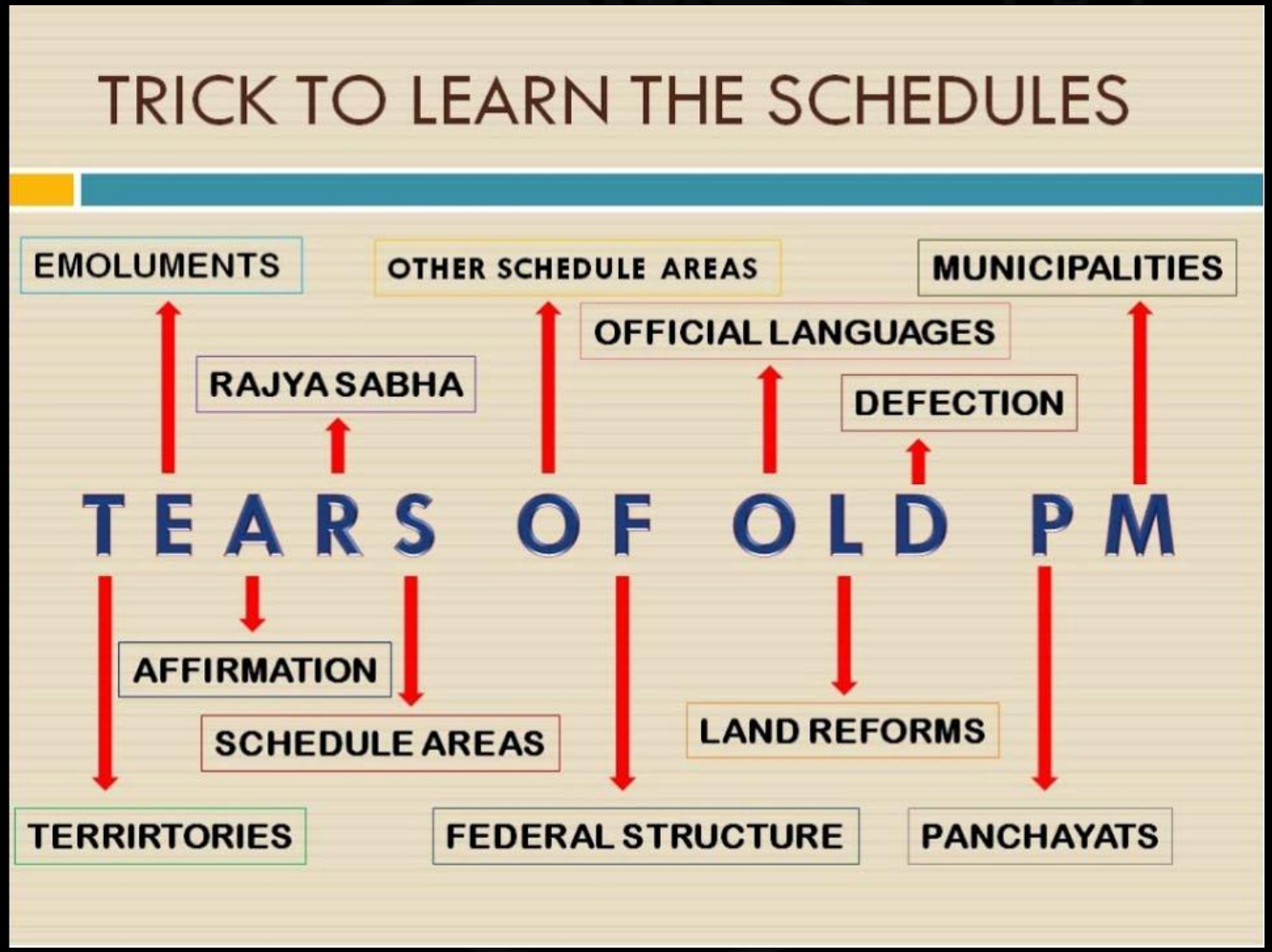

Ladak and Sixth Schedule

Positives of being under the Sixth Schedule

- States and regions under the Sixth Schedule enjoy legislative, executive, and judicial autonomy, helping preserve tribal culture. E.g. The Autonomous District Councils in Meghalaya regulate land and forests, ensuring local control over resources. छठी अनुसूची के तहत राज्यों और क्षेत्रों को विधायी, कार्यकारी और न्यायिक स्वायत्तता प्राप्त है, जिससे आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने में मदद मिलती है। जैसे मेघालय में स्वायत्त जिला परिषदें संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए भूमि और जंगलों को विनियमित करती हैं।
- Tribal communities can manage their affairs, including laws on land inheritance, social customs, and marriage. E.g. Mizoram's ADCs regulate shifting cultivation, a traditional tribal practice. जनजातीय समुदाय अपने मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं, जिनमें भूमि विरासत, सामाजिक रीति–रिवाज और विवाह पर कानून शामिल हैं। जैसे मिजोरम के एडीसी एक पारंपरिक जनजातीय प्रथा, स्थानांतरण खेती को नियंत्रित करते हैं।

Ladak and Sixth Schedule

Positives of being under the Sixth Schedule

- The Sixth Schedule provides for tailored developmental programs, creating more opportunities for regional growth. E.g. Meghalaya's ADCs have autonomy over primary education and local roads. छठी अनुसूची क्षेत्रीय विकास के लिए अधिक अवसर पैदा करते हुए अनुरूप विकासात्मक कार्यक्रमों का प्रावधान करती है। जैसे मेघालय के एडीसी को प्राथमिक शिक्षा और स्थानीय सड़कों पर स्वायत्तता प्राप्त है।
- The Sixth Schedule areas benefit from government schemes that focus on education, infrastructure, and healthcare, improving the overall socio-economic status. छठी अनुसूची के क्षेत्र सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होते हैं जो शिक्षा, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे समग्र सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।

Ladak and Sixth Schedule

The Fifth and Sixth Schedules: पांचवीं और छठी अनुसूची:

- Asymmetrical federalism refers to a system where different states or regions within a federation have varying degrees of autonomy and powers.
  असममित संघवाद एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जहां एक संघ के भीतर विभिन्न राज्यों या क्षेत्रों में स्वायत्तता और शक्तियों की अलग–अलग डिग्री होती है।
- In India, certain states and areas enjoy more autonomy under constitutional provisions, particularly through the Fifth and Sixth Schedules. This differs from symmetrical federations like the U.S., where all states enjoy equal powers.भारत में, कुछ राज्यों और क्षेत्रों को संवैधानिक प्रावधानों के तहत अधिक स्वायत्तता प्राप्त है, विशेषकर पांचवीं और छठी अनुसूचियों के माध्यम से। यह अमेरिका जैसे सममित संघों से भिन्न है, जहां सभी राज्यों को समान शक्तियां प्राप्त हैं।

Ladak and Sixth Schedule

The Fifth and Sixth Schedules: पांचवीं और छठी अनुसूची:

- The Fifth and Sixth Schedules derive from the provisions of the Government of India Act, 1935, which classified areas into 'excluded' and 'partially excluded' regions. These were meant to protect tribal populations from external interventions. पांचवीं और छठी अनुसूचियां भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधानों से ली गई हैं, जो क्षेत्रों को 'बहिष्कृत' और 'आंशिक रूप से बहिष्कृत' क्षेत्रों में वर्गीकृत करती हैं। इनका उद्देश्य जनजातीय आबादी को बाहरी हस्तक्षेप से बचाना था।
- Fifth Schedule (Article 244): It applies to 'Scheduled Areas' declared by the President, focusing on tribal welfare, land rights, and advisory councils. States covered include Andhra Pradesh, Odisha, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Himachal Pradesh, and others. पांचवीं अनुसूची (अनुच्छेद 244): यह राष्ट्रपति द्वारा घोषित 'अनुसूचित क्षेत्रों' पर लागू होती है, जो आदिवासी कल्याण, भूमि अधिकार और सलाहकार परिषदों पर केंद्रित है। कवर किए गए राज्यों में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और अन्य शामिल हैं।

Ladak and Sixth Schedule

The Fifth and Sixth Schedules: पांचवीं और छठी अनुसूची:

- Sixth Schedule (Article 244A): It covers 'Tribal Areas' in Assam, Meghalaya, Mizoram, and Tripura. Autonomous District Councils (ADCs) manage legislative and administrative tasks in these regions, providing more autonomy than the Fifth Schedule.
  छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244ए): इसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में 'जनजातीय क्षेत्र' शामिल हैं। स्वायत्त जिला परिषदें (एडीसी) इन क्षेत्रों में विधायी और प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करती हैं, जो पांचवीं अनुसूची की तुलना में अधिक स्वायत्तता प्रदान करती हैं।

Judge's Asset Disclosure न्यायाधीश की संपत्ति का खुलासा

- The Kerala High Court topped the list with the asset declarations of 37 out of 39 judges available on its website while those of only two of 50 judges in the Karnataka High Court and five of 62 judges in the Madras High Court have been provided.

  केरल उच्च न्यायालय अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध 39 में से 37 न्यायाधीशों की संपत्ति घोषणाओं के साथ सूची में शीर्ष पर है, जबकि कर्नाटक उच्च न्यायालय में 50 न्यायाधीशों में से केवल दो और मद्रास उच्च न्यायालय में 62 न्यायाधीशों में से पांच की संपत्ति की घोषणा उपलब्ध कराई गई है।

Judge's Asset Disclosure न्यायाधीश की संपत्ति का खुलासा

- Only 13% of High Court judges' assets are publicly available, with Kerala, Punjab and Haryana, and Delhi High Courts contributing over 80% of the total asset declarations (Source: The Indian Express).
  उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की केवल 13: संपत्ति सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, केरल, पंजाब और हरियाणा और दिल्ली उच्च न्यायालय कुल संपत्ति घोषणाओं में 80% से अधिक का योगदान देते हैं (स्रोतः द इंडियन एक्सप्रेस)।
- Several High Courts, like Bombay, Gujarat, and Telangana, have not disclosed asset declarations, citing reasons like personal privacy and the confidential nature of such information. बॉम्बे, गुजरात और तेलंगाना जैसे कई उच्च न्यायालयों ने व्यक्तिगत गोपनीयता और ऐसी जानकारी की गोपनीय प्रकृति जैसे कारणों का हवाला देते हुए संपत्ति की घोषणाओं का खुलासा नहीं किया है।

Judge's Asset Disclosure न्यायाधीश की संपत्ति का खुलासा

- Parliament's Committee on Personnel, Public Grievances, and Law and Justice recommended mandatory asset disclosure for judges in August 2023, but many courts have not complied, labeling the information as outside the scope of the RTI Act. कार्मिक, लोक शिकायत और कानून एवं न्याय पर संसद की समिति ने अगस्त 2023 में न्यायाधीशों के लिए अनिवार्य संपत्ति प्रकटीकरण की सिफारिश की, लेकिन कई अदालतों ने सूचना को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर बताते हुए इसका पालन नहीं किया।
- The Supreme Court adopted a resolution for voluntary asset disclosure in 1997, and several High Courts followed in 2009, but updates have been sparse since 2018. सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में स्वैच्छिक संपत्ति प्रकटीकरण के लिए एक प्रस्ताव अपनाया और 2009 में कई उच्च न्यायालयों ने इसका पालन किया, लेकिन 2018 के बाद से अपडेट बहुत कम हुए हैं।

Classical Language शास्त्रीय भाषा

- The Union Cabinet chaired by the Prime Minister of India has approved to confer the status of Classical Language to Marathi, Pali, Prakrit, Assamese and Bengali languages.
  भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है।
- The recognition of a classical language is based on criteria established by a Linguistic Experts Committee.
  किसी शास्त्रीय भाषा की मान्यता भाषाई विशेषज्ञ समिति द्वारा स्थापित मानदंडों पर आधारित होती है।

Classical Language शास्त्रीय भाषा

- According to the committee, the following revised benchmarks must be met for a language to be considered "classical": समिति के अनुसार, किसी भाषा को ''शास्त्रीय'' माने जाने के लिए निम्नलिखित संशोधित मानकों को पूरा किया जाना चाहिए:

1. High antiquity of (its) early texts/recorded history over a period of 1500-2000 years.
   1500–2000 वर्षों की अवधि में (इसके) प्रारंभिक ग्रंथोंध्अभिलेखित इतिहास की उच्च प्राचीनता।
2. A body of ancient literature/texts, which is considered a heritage by generations of speakers.
   प्राचीन साहित्यध्ग्रंथों का एक संग्रह, जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा विरासत माना जाता है।

Classical Language शास्त्रीय भाषा

3. Knowledge texts, especially prose texts in addition to poetry, epigraphical and inscriptional evidence.
   ज्ञान ग्रंथ, विशेषकर गद्य ग्रंथ, पद्य के अतिरिक्त अभिलेखीय एवं अभिलेखीय साक्ष्य।
4. The Classical Languages and literature could be distinct from its current form or could be discontinuous with later forms of its offshoots.
   शास्त्रीय भाषाएँ और साहित्य अपने वर्तमान स्वरूप से भिन्न हो सकते हैं या अपनी शाखाओं के बाद के रूपों से अलग हो सकते हैं।

- Other Recognised Classical Languages are: Tamil (2004), Sanskrit (2005), Telugu(2008), Kannada (2008), Malayalam(2013) and Odia (2014).
  अन्य मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषाएँ हैं: तमिल (2004), संस्कृत (2005), तेलुगु (2008), कन्नड़ (2008), मलयालम (2013) और उड़िया (2014)।

United States Commission on International Religious Freedom:
अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग:

- India has strongly rejected a report by the US Commission on International Religious Freedom (USCIRF), which flagged "increasing abuses" against religious minorities in the country. भारत ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) की एक रिपोर्ट को दृढ़ता से खारिज कर दिया है, जिसमें देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ ''बढ़ते दुर्व्यवहार'' को चिह्नित किया गया था।
- United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) is an independent, bipartisan U.S. federal government agency.
  अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग (USCIRF) एक स्वतंत्र, द्विदलीय अमेरिकी संघीय सरकारी एजेंसी है।

United States Commission on International Religious Freedom:
अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग:

- It was created by the 1998 International Religious Freedom Act (IRFA), as amended. इसे 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (आईआरएफए) द्वारा संशोधित करके बनाया गया था।
- USCIRF reviews the facts and circumstances of violations of religious freedom internationally and makes policy recommendations to the President, the Secretary of State, and Congress. यूएससीआईआरएफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के तथ्यों और परिस्थितियों की समीक्षा करता है और राष्ट्रपति, राज्य सचिव और कांग्रेस को नीतिगत सिफारिशें करता है।
- USCIRF's nine Commissioners are appointed by either the President or Congressional leaders of each political party. USCIRF's के नौ आयुक्तों की नियुक्ति प्रत्येक राजनीतिक दल के अध्यक्ष या कांग्रेस के नेताओं द्वारा की जाती है।

United States Commission on International Religious Freedom:
अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग:

- Their work is supported by a professional, nonpartisan staff.
  उनके काम को पेशेवर, गैर–पक्षपातपूर्ण कर्मचारियों द्वारा समर्थित किया जाता है।
- USCIRF issues an annual report that assesses the US government's implementation of IRFA, highlights "Countries of Particular Concern" engaging in severe religious freedom violations, documents the conditions of religious freedom in many countries, and provides policy recommendations. यूएससीआईआरएफ एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है जो अमेरिकी सरकार के आईआरएफए के कार्यान्वयन का आकलन करता है, गंभीर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन में शामिल ''विशेष चिंता वाले देशों'' पर प्रकाश डालता है, कई देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थितियों का दस्तावेजीकरण करता है, और नीति सिफारिशें प्रदान करता है।

United States Commission on International Religious Freedom:

- It uses international standards to monitor religious freedom violations globally. यह वैश्विक स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की निगरानी के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों का उपयोग करता है।
- Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights affirms that: "Everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and observance." मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 18 पुष्टि करता है कि: "प्रत्येक व्यक्ति को विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हैय इस अधिकार में अपने धर्म या विश्वास को बदलने की स्वतंत्रता, और अकेले या दूसरों के साथ समुदाय में और सार्वजनिक या निजी तौर पर शिक्षण, अभ्यास, पूजा और पालन में अपने धर्म या विश्वास को प्रकट करने की स्वतंत्रता शामिल है।

Supreme Court Ruling On ITC: आईटीसी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

- The Supreme Court laid down functionality and essentially test for Input Tax Credit (ITC) eligibility under the Goods and Services Tax (GST) regime.
  सुप्रीम कोर्ट ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पात्रता के लिए कार्यक्षमता और अनिवार्य रूप से परीक्षण निर्धारित किया।
- The verdict was delivered in the Chief Commissioner of Central Goods and Service Tax & Ors. Vs Safari Retreats Case, 2024.
  यह फैसला मुख्य आयुक्त केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर एवं अन्य की अदालत में सुनाया गया। बनाम सफारी रिट्रीट केस, 2024।

Supreme Court Ruling On ITC: आईटीसी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

- The Supreme Court (SC) ruled that the real estate sector can claim ITC on construction costs for commercial buildings used for renting or leasing purposes under the functionality and essentially test. सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने फैसला सुनाया कि रियल एस्टेट क्षेत्र कार्यक्षमता और अनिवार्य रूप से परीक्षण के तहत किराए या पट्टे के उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली वाणिज्यिक इमारतों के निर्माण लागत पर आईटीसी का दावा कर सकता है।
- Earlier ITC was not allowed on such immovable property construction. पहले ऐसी अचल संपत्ति के निर्माण पर आईटीसी की अनुमति नहीं थी।
- The court clarified that if the construction of a building is essential for providing services like leasing or renting, the building may fall under the category of 'plant and machinery.' अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भवन का निर्माण पट्टे या किराए पर लेने जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक है, तो भवन 'संयंत्र और मशीनरी' की श्रेणी में आ सकता है।

Supreme Court Ruling On ITC: आईटीसी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

- This is based on Section 17(5)(d) of the Central Goods and Services Tax (CGST) Act, 2017 which permits ITC claims on plant and machinery used in the business of supplying services. यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 17(5)(डी) पर आधारित है जो सेवाओं की आपूर्ति के व्यवसाय में उपयोग किए जाने वाले संयंत्र और मशीनरी पर आईटीसी दावों की अनुमति देता है।
- The court read down the scope of Sections 17(5)(c) and (d) of the CGST Act, 2017 which prohibit ITC claims for construction materials used for immovable property, except for plant or machinery.
  अदालत ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17(5)(सी) और (डी) के दायरे को पढ़ा, जो संयंत्र या मशीनरी को छोड़कर अचल संपत्ति के लिए उपयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री के लिए आईटीसी दावों पर रोक लगाता है।

Supreme Court Ruling On ITC: आईटीसी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

- The SC emphasised that determining whether a building like a mall or warehouse qualifies as 'plant' under Section 17(5)(d) should be assessed on a case-by-case basis.
  सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि मॉल या गोदाम जैसी कोई इमारत धारा 17(5)(डी) के तहत 'संयंत्र' के रूप में योग्य है या नहीं, इसका मूल्यांकन मामले–दर–मामले के आधार पर किया जाना चाहिए।
- The business nature and the role of the building in the registered person's business are key factors in this determination. पंजीकृत व्यक्ति के व्यवसाय में व्यवसाय की प्रकृति और भवन की भूमिका इस निर्धारण में प्रमुख कारक हैं।

Supreme Court Ruling On ITC आईटीसी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Functionality and Essentially Tests

- Functionality Test: It will evaluate whether the building plays a role in the supply of services, akin to the function of plant and machinery in a factory.
  कार्यक्षमता परीक्षण: यह मूल्यांकन करेगा कि क्या इमारत किसी कारखाने में संयंत्र और मशीनरी के कार्य के समान सेवाओं की आपूर्ति में भूमिका निभाती है।
- Essentially Test: The SC held that procurement of goods or services must be directly essential to business operations. अनिवार्य रूप से परीक्षण: SC ने माना कि वस्तुओं या सेवाओं की खरीद व्यवसाय संचालन के लिए सीधे तौर पर आवश्यक होनी चाहिए।
- It means that only those goods and services that are directly needed for constructing or developing property can be claimed for tax benefits or input tax credit (ITC). E.g., cement, steel etc. इसका मतलब यह है कि केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं पर कर लाभ या इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के लिए दावा किया जा सकता है जिनकी सीधे तौर पर संपत्ति के निर्माण या विकास के लिए आवश्यकता होती है। जैसे, सीमेंट, स्टील आदि।

Co-District : Assam सह–जिलाः असम

- Assam has become the first state in India to implement a new administrative structure known as Co-Districts, aimed at improving governance and accessibility of public services. The inaugural phase will take place on October 4 and 5, 2024, when 39 Co-Districts will be officially launched. असम भारत में सह–जिला नामक एक नई प्रशासनिक संरचना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसका उद्देश्य प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच में सुधार करना है। उद्घाटन चरण 4 और 5 अक्टूबर, 2024 को होगा, जब 39 सह–जिलों को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा।

Co-District : Assam सह–जिला: असम

- Co-districts are smaller administrative units under Assam's district administration, established to decentralize governance.
  सह–जिले असम के जिला प्रशासन के अंतर्गत छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, जिन्हें शासन के विकेंद्रीकरण के लिए स्थापित किया गया है।
- Aimed at making administrative services more accessible to citizens by bringing governance closer to their homes
  इसका उद्देश्य शासन को उनके घरों के करीब लाकर नागरिकों के लिए प्रशासनिक सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना है

Co-District : Assam सह–जिलाः असम

- Co-districts handle administrative tasks such as issuing ration cards, caste certificates, managing land revenue matters, excise, development, welfare work, and disaster management. They also have magisterial powers.
  सह–जिले राशन कार्ड जारी करना, जाति प्रमाण पत्र, भूमि राजस्व मामलों का प्रबंधन, उत्पाद शुल्क, विकास, कल्याण कार्य और आपदा प्रबंधन जैसे प्रशासनिक कार्यों को संभालते हैं। उनके पास मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी हैं.
- Co-districts are led by an Assistant District Commissioner, while districts are led by a Deputy Commissioner. सह–जिलों का नेतृत्व एक सहायक जिला आयुक्त द्वारा किया जाता है, जबकि जिलों का नेतृत्व एक उपायुक्त द्वारा किया जाता है।
- Co-districts cover smaller geographical areas compared to districts.
  सह–जिले जिलों की तुलना में छोटे भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करते हैं।

Secretary Gina Raimondo and Piyush Goyal Co-Chair 6th U.S.-India Commercial Dialogue Meeting: सचिव जीना रायमोंडो और पीयूष गोयल सह–अध्यक्ष छठी अमेरिकी–भारत वाणिज्यिक वार्ता बैठक:

- Union Minister Piyush Goyal, Ministry of Commerce and Industry (MoCI) and Gina Raimondo, United States (US) Secretary of Commerce, co-chaired the 6th consecutive India-US Commercial Dialogue held in the US Department of Commerce, in Washington D.C., the United States of America (USA). Piyush Goyal was on a visit to the USA from 30th September 2024 to 3rd October 2024 at the invitation of Gina Raimondo.

  केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) और जीना रायमोंडो, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) के वाणिज्य सचिव, ने वाशिंगटन डी.सी. में अमेरिकी वाणिज्य विभाग में आयोजित लगातार छठी भारत–अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता की सह–अध्यक्षता की। युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए)। जीना रायमोंडो के निमंत्रण पर पीयूष गोयल 30 सितंबर 2024 से 3 अक्टूबर 2024 तक अमेरिका की यात्रा पर थे।

Cabinet approvals: कैबिनेट की मंजूरी:

- The Union Cabinet chaired by Narendra Modi, Prime Minister (PM) of India, has approved the following proposals for, Development of the world-class National Maritime Heritage Complex (NMHC) by Ministry of Ports, Shipping & Waterways (MoPSW) at Lothal, Gujarat, to be executed in two phases. Construction of 2,280 km of roads in Rajasthan and Punjab, with an investment of Rs 4,406 crore. Continuation of the universal supply of Fortified Rice Kernels (FRK) under various Central Government schemes, including Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY), from July 2024 to December 2028, at a cost of Rs 17,082 crore.

भारत के प्रधान मंत्री (पीएम) नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोथल में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) द्वारा विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) के विकास के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। गुजरात, दो चरणों में निष्पादित किया जाएगा। 4,406 करोड़ रुपये के निवेश से राजस्थान और पंजाब में 2,280 किमी सड़कों का निर्माण। 17,082 करोड़ रुपये की लागत से जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) सहित विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) की सार्वभौमिक आपूर्ति जारी रखना।

Article 142 : In News अनुच्छेद 142 : समाचार में

- The Supreme Court on Monday (October 14) refused to entertain a PIL seeking directions under Article 142 to include sexual offences against men, trans persons and animals under the newly enacted Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).

  सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (14 अक्टूबर) को उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें नए अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत पुरुषों, ट्रांस व्यक्तियों और जानवरों के खिलाफ यौन अपराधों को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश देने की मांग की गई थी।

Article 142 : In News अनुच्छेद 142 : समाचार में

- Article 142 of the Indian Constitution holds great significance in the context of the judiciary's power and its relationship with the legislative and executive branches.
  भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 न्यायपालिका की शक्ति और विधायी और कार्यकारी शाखाओं के साथ उसके संबंधों के संदर्भ में बहुत महत्व रखता है।
- Article 142(1) states that the Supreme Court (SC) may pass any order necessary to do "complete justice" in any matter pending before it.
  अनुच्छेद 142(1) में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय (एससी) अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले में ''पूर्ण न्याय'' करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश पारित कर सकता है।

Article 142 : In News अनुच्छेद 142 : समाचार में

- This gives the SC wide discretionary powers to ensure justice is served, even in situations where existing laws might be insufficient or silent.
  यह सुप्रीम कोर्ट को न्याय सुनिश्चित करने के लिए व्यापक विवेकाधीन शक्तियां देता है, यहां तक कि उन स्थितियों में भी जहां मौजूदा कानून अपर्याप्त या मूक हो सकते हैं।
- Article 142(2) provides the SC the authority to secure the attendance of persons, production of documents, and punishment for contempt of its orders.
  अनुच्छेद 142(2) सुप्रीम कोर्ट को व्यक्तियों की उपस्थिति, दस्तावेजों के उत्पादन और उसके आदेशों की अवमानना के लिए सजा सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करता है।

Kerala Assembly Passes Resolution Against Waqf Amendment Bill:
केरल विधानसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया:

- The Kerala Assembly unanimously passed a resolution urging the BJP-led central government to withdraw the Waqf (Amendment) Bill 2024, which was introduced in the Lok Sabha in August and subsequently referred to a Joint Parliamentary Committee (JPC).

  केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को वापस लेने का आग्रह किया गया, जिसे अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था और बाद में एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था।

Doctrine of Lis Pendens: लिस पेंडेंस का सिद्धांतः

- The Supreme Court has reiterated that once a transaction is found to be hit by the doctrine of lis pendens, then the defences of being a bona fide purchaser and lack of notice regarding the sale agreement are not available.
  सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि एक बार जब कोई लेन–देन लिस पेंडेंस के सिद्धांत से प्रभावित पाया जाता है, तो वास्तविक खरीदार होने और बिक्री समझौते के संबंध में नोटिस की कमी का बचाव उपलब्ध नहीं है।
- Lis pendens in common parlance means “a pending legal action”.
  आम बोलचाल की भाषा में लिस पेंडेन्स का अर्थ है ‘‘लंबित कानूनी कार्रवाई‘‘।

NOTE : The doctrine of lis pendens is a legal principle that gives a court the power to control property that is involved in a pending lawsuit. The term "lis pendens" is Latin for "pending litigation".

Doctrine of Lis Pendens: लिस पेंडेंस का सिद्धांतः

- The maxim representing this doctrine means that 'during the pendency of litigation, nothing new should be introduced, and to maintain the status quo, to abstain from doing anything which may affect any party to the litigation. इस सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करने वाली कहावत का अर्थ है कि 'मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, कुछ भी नया पेश नहीं किया जाना चाहिए, और यथास्थिति बनाए रखने के लिए, ऐसा कुछ भी करने से बचना चाहिए जो मुकदमेबाजी के किसी भी पक्ष को प्रभावित कर सकता है।
- It is based on the principle that during the pendency of a suit, the subject matter of it (i.e. the property in the suit) should not be transferred to a third party. यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान उसकी विषय वस्तु (यानी मुकदमे में संपत्ति) किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं की जानी चाहिए।

Doctrine of Lis Pendens: लिस पेंडेंस का सिद्धांत:

- The maxim representing this doctrine means that 'during the pendency of litigation, nothing new should be introduced, and to maintain the status quo, to abstain from doing anything which may affect any party to the litigation. इस सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करने वाली कहावत का अर्थ है कि 'मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, कुछ भी नया पेश नहीं किया जाना चाहिए, और यथास्थिति बनाए रखने के लिए, ऐसा कुछ भी करने से बचना चाहिए जो मुकदमेबाजी के किसी भी पक्ष को प्रभावित कर सकता है।
- It is based on the principle that during the pendency of a suit, the subject matter of it (i.e. the property in the suit) should not be transferred to a third party.
  यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान उसकी विषय वस्तु (यानी मुकदमे में संपत्ति) किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं की जानी चाहिए।

Doctrine of Lis Pendens: लिस पेंडेंस का सिद्धांतः

- It is dealt with in Section 52 of the Transfer of Property Act, 1882, which provides that if there is any transfer of any immovable property pending litigation, the same shall not affect the rights of the parties in respect to the immovable property.
  इसे संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 52 में निपटाया गया है, जो प्रावधान करता है कि यदि मुकदमा लंबित होने पर किसी अचल संपत्ति का कोई हस्तांतरण होता है, तो यह अचल संपत्ति के संबंध में पार्टियों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा।

Doctrine of Lis Pendens: लिस पेंडेंस का सिद्धांत:

- The outcome of the litigation, passed by a court of competent jurisdiction, in the matter during the pendency of which the transfer had taken place would be binding upon such a purchaser, who has purchased the property during the pending litigation.

  जिस मामले के लंबित रहने के दौरान स्थानांतरण हुआ था, उस मामले में सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत द्वारा पारित मुकदमे का नतीजा ऐसे क्रेता पर बाध्यकारी होगा, जिसने लंबित मुकदमे के दौरान संपत्ति खरीदी है।

Doctrine of Lis Pendens: लिस पेंडेंस का सिद्धांतः

- It serves to protect the rights and interests of parties involved in a pending law suit concerning a specific property.
  यह किसी विशिष्ट संपत्ति से संबंधित लंबित कानूनी मुकदमे में शामिल पक्षों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने का कार्य करता है।
- The effect of the rule of lis pendens is not to invalidate or avoid the transfer but to make it subject to the result of the litigation.
  लिस पेंडेन्स के नियम का प्रभाव स्थानांतरण को अमान्य करना या टालना नहीं है, बल्कि इसे मुकदमेबाजी के परिणाम के अधीन बनाना है।

Doctrine of Lis Pendens: लिस पेंडेंस का सिद्धांत:

- According to this rule, therefore, whosoever purchases property during the pendency of a suit is bound by the judgment that may be made against the person from whom he derived the title, even though such a purchaser was not a party to the action or had no notice of the pending litigation.
  इस नियम के अनुसार, इसलिए, जो कोई भी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान संपत्ति खरीदता है, वह उस फैसले से बंधा होता है, जो उस व्यक्ति के खिलाफ किया जा सकता है, जिससे उसने स्वामित्व प्राप्त किया है, भले ही ऐसा खरीदार कार्रवाई में कोई पक्ष नहीं था या उसका कोई पक्ष नहीं था। लंबित मुकदमे की सूचना.

Nayab Saini Sworn in as Haryana CM, BJP Wins Third Term:

नायब सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, भाजपा ने तीसरा कार्यकाल जीता:

- Nayab Singh Saini was sworn in as Haryana's Chief Minister for the second time, marking BJP's third consecutive term in power in the state. Governor Bandaru Dattatreya administered the oath at a ceremony attended by Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers, and NDA leaders.

  नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जो राज्य में भाजपा की लगातार तीसरी बार सत्ता है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए नेताओं की उपस्थिति में एक समारोह में शपथ दिलाई।

Abhyuday Jindal, President of Indian Chamber of Commerce:

अभ्युदय जिंदल, अध्यक्ष, इंडियन चौंबर ऑफ कॉमर्स:

- Abhyuday Jindal has been named the new President of the Indian Chamber of Commerce (ICC), taking over from Ameya Prabhu. This change in leadership is important for the ICC, as it reflects the ongoing transformation of business leadership in India.

  अभ्युदय जिंदल को अमेया प्रभु का स्थान लेते हुए इंडियन चौंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) का नया अध्यक्ष नामित किया गया है। नेतृत्व में यह बदलाव आईसीसी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत में व्यावसायिक नेतृत्व में चल रहे परिवर्तन को दर्शाता है।

NHRC Concludes National Conference, Advocates for Older Persons' Rights: NHRC ने वृद्धजनों के अधिकारों की वकालत करने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन किया:

- On its 31st Foundation Day, the National Human Rights Commission (NHRC) organized a day-long national conference on the "Rights of Older Persons" at Vigyan Bhawan, New Delhi. During the keynote address, Acting Chairperson Smt. Vijaya Bharathi Sayani emphasized the invaluable role of elders as the architects of the nation's history, keepers of cultural heritage
  अपने 31वें स्थापना दिवस पर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में ''वृद्ध व्यक्तियों के अधिकार'' पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। मुख्य भाषण के दौरान, कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती। विजया भारती सयानी ने राष्ट्र के इतिहास के वास्तुकारों, सांस्कृतिक विरासत के रखवालों के रूप में बुजुर्गों की अमूल्य भूमिका पर जोर दिया।
-

New Justice Statute: नया न्याय कानून:

- The Lady Justice statue was unveiled at the Supreme Court, on the directions of the Chief Justice of India. The statue was without the blindfold, and with the Constitution held in place of the sword, signifying that the law in India is both informed and not driven by retribution. Lady Justice is an allegorical figure representing the moral authority within judicial systems. It is often depicted alongside Prudentia, another allegorical figure representing wisdom and prudence. भारत के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट में लेडी जस्टिस की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मूर्ति बिना आंखों पर पट्टी के थी और तलवार के स्थान पर संविधान रखा हुआ था, जो दर्शाता है कि भारत में कानून सूचित है और प्रतिशोध से प्रेरित नहीं है। लेडी जस्टिस न्यायिक प्रणालियों के भीतर नैतिक अधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रतीकात्मक आकृति हैं। इसे अक्सर प्रूडेंटिया के साथ चित्रित किया जाता है, जो ज्ञान और विवेक का प्रतिनिधित्व करने वाला एक और रूपक है।

Vikram Dev Dutt Takes Charge as Coal Secretary:

विक्रम देव दत्त ने कोयला सचिव का पदभार संभाला:

- Vikram Dev Dutt, a 1993-batch IAS officer from the AGMUT cadre, has officially assumed the role of Coal Secretary. Previously serving as the Director General of the Directorate General of Civil Aviation (DGCA), Dutt takes over from VL Kantha Rao, who held the additional charge after Amrit Lal Meena was appointed as the Chief Secretary of Bihar. With India's power demand projected to grow by 6-7% annually, Dutt faces the significant challenge of enhancing coal production to meet the rising needs of the Power and Industrial sectors. एजीएमयूटी कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी विक्रम देव दत्त ने आधिकारिक तौर पर कोयला सचिव की भूमिका संभाली है। पहले नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के महानिदेशक के रूप में कार्यरत, दत्त ने वीएल कांथा राव से पदभार संभाला, जिन्होंने अमृत लाल मीना को बिहार के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद अतिरिक्त प्रभार संभाला था। भारत की बिजली की मांग सालाना 6–7: बढ़ने का अनुमान है, दत्त को बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयला उत्पादन बढ़ाने की महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

Justice Yahya Afridi Selected as Pakistan's Next Chief Justice Amid Political Unrest: राजनीतिक अशांति के बीच न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी को पाकिस्तान के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया:

- A special parliamentary committee in Pakistan has appointed Justice Yahya Afridi as the next Chief Justice, bypassing the traditional seniority principle. This decision follows the 26th Constitutional Amendment, which granted the committee the authority to appoint the top judge, replacing the seniority-based elevation system. Afridi was chosen over two senior judges, Mansoor Ali Shah and Munib Akhtar, sparking concerns about deepening political turmoil.

  पाकिस्तान में एक विशेष संसदीय समिति ने पारंपरिक वरिष्ठता सिद्धांत को दरकिनार करते हुए न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी को अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह निर्णय 26वें संवैधानिक संशोधन का अनुसरण करता है, जिसने समिति को वरिष्ठता–आधारित उन्नयन प्रणाली की जगह, शीर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार दिया। अफरीदी को दो वरिष्ठ न्यायाधीशों, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के ऊपर चुना गया, जिससे राजनीतिक उथल–पुथल गहराने की चिंता पैदा हो गई।

Delhi Government Establishes Special Courts for People with Disabilities:
दिल्ली सरकार ने विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित कीं:

- The Delhi government, led by Chief Minister Atishi, has approved the establishment of special courts dedicated to people with disabilities. This initiative aims to provide fair and swift justice by designing court environments that cater specifically to the needs of individuals with disabilities.

  मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने विकलांग लोगों के लिए समर्पित विशेष अदालतों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने वाले अदालती माहौल को डिजाइन करके निष्पक्ष और त्वरित न्याय प्रदान करना है।

JP Morgan Chase India Appoints Pranav Chawda as New CEO:

जेपी मॉर्गन चेज इंडिया ने प्रणव चावड़ा को नया सीईओ नियुक्त किया:

- Pranav Chawda has been appointed as the new chief executive officer (CEO) of JP Morgan Chase India for a term of three years. Previously heading the commercial banking unit of the US-based JP Morgan, Chawda's appointment comes after receiving the necessary approval from the Reserve Bank of India (RBI).

  प्रणव चावड़ा को तीन साल की अवधि के लिए जेपी मॉर्गन चेज इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है। पहले अमेरिका स्थित जेपी मॉर्गन की वाणिज्यिक बैंकिंग इकाई का नेतृत्व करते हुए, चावड़ा की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद हुई है।

Delhi Government Establishes Special Courts for People with Disabilities:
दिल्ली सरकार ने विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित कीं:

- The Delhi government, led by Chief Minister Atishi, has approved the establishment of special courts dedicated to people with disabilities. This initiative aims to provide fair and swift justice by designing court environments that cater specifically to the needs of individuals with disabilities.

  मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने विकलांग लोगों के लिए समर्पित विशेष अदालतों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने वाले अदालती माहौल को डिजाइन करके निष्पक्ष और त्वरित न्याय प्रदान करना है।

ICRISAT Announces Dr. Himanshu Pathak as New Director General:
ICRISAT ने डॉ. हिमांशु पाठक को नया महानिदेशक घोषित किया:

- The Governing Board of the International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) has announced the appointment of Dr. Himanshu Pathak as the Director General-designate of the esteemed institute. The announcement was made by Governing Board Chair Professor Prabhu Pingali during an all-staff event held on Friday, October 18, at ICRISAT headquarters in Hyderabad.

  इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी–एरिड ट्रॉपिक्स (प्ब्प्ै।ज) के गवर्निंग बोर्ड ने डॉ. हिमांशु पाठक को प्रतिष्ठित संस्थान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। यह घोषणा गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रभु पिंगली ने शुक्रवार, 18 अक्टूबर को हैदराबाद में प्ब्प्ै।ज मुख्यालय में आयोजित एक ऑल–स्टाफ कार्यक्रम के दौरान की थी।